



B S N L Employees Union

M.P. Circle, BHOPAL

(Regd. No. 4896)

(The Only Recognised union in BSNL)

OFFICE: 1195, Lal Kothi, Near Brij Sweets, Shahi Naka Road, Gulauatal, Garha, JABALPUR, (MP)

Phone:- 0761-2425789

Website:- www.bsnleump.org

Mobile:- 94251 24499

Circle Secretary

Email: srnayak68@yahoo.in

Circle President

S.R.Nayak

B.S.Raghuwanshi

क्रमांक: बीएसएनएलईयू एमपी/

दिनांक 15-08-2011

प्लेश न्यूज

65 वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई

देश की स्वतंत्रता के 65 वें स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने सदस्यों, मित्रों, शुभ चिन्तकों सहित सभी कर्मचारियों को हार्दिक बधाई प्रेषित करते हैं।

इस अवसर पर हम यह नोट करते हैं कि, आज हमारा देश उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार, भारी बेरोजगारी तथा भयानक मंहगाई की चपेट में है। इन सब संकटों के लिए प्रमुख कारण यह है कि, हमारे देश की सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि देश के विकास के लिए एक मात्र रास्ता, पूंजीवाद ही है। इसलिए, समाजवादी रास्ते को प्रायः तिलांजलि दे दी गई है। इस प्रकार, देश की सरकार, मुख्य रूप से, पूंजी की राज्य सत्ता का विकास करने के हिसाब से ही अपनी नीतियां बनाती है। चूंकि, पूंजी की राज्य सत्ता के विकास के लिए, मंहगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अनिवार्य रूप से खाद और पानी का काम करते हैं, इसलिए देश के मजदूर-कर्मचारियों सहित आम जनता के जीवन स्तर पर यह हमला और भी तीव्र होने की ही सम्भावना है।

अतः 65 वें स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम अपने इस संकल्प को दुहराते हैं कि राष्ट्र के समग्र विकास, जिसमें आम आदमी का विकास भी सम्मिलित है, समाजवाद के वैकल्पिक रास्ते को अपनाने के लिए अपने प्रयास और संघर्ष जारी रखेंगे।

नए वेतनमान के हिसाब से चिकित्सा भत्ता मिलेगा

कारपोरेट आफिस नई दिल्ली ने अपने कार्यालयीन आदेश क्रमांक बीएसएनएल/एडमिन-1/14-15/09 दिनांक 10 अगस्त 2011 के द्वारा चिकित्सा भत्ता की राशि की दरों को नए वेतनमान पर निम्नानुसार निर्धारित किया है:-

1. वाउचर सहित आउट डोर ट्रीटमेंट:- 25 दिन का रिवाइज्ड वेतनमान+मंहगाई भत्ता के बराबर राशि।
2. बिना वाउचर के आउट डोर ट्रीटमेंट:- रिवाइज्ड वेतनमान के 12½ का वेतन + मंहगाई भत्ता की राशि यह राशि पूर्व के अनुसार चार किस्तों में मिलेगी।

ये आदेश नान एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों को 01.04.2011 से प्रभावशील होंगे। नेशनल काउन्सिल के आइटम पर हुई चर्चा के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं।

